# न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.**

**पत्रावली संख्या : 104/18 (प्रा0पत्र)**

**GCMS No. : 2018/00063**

**अनवान्**

1. श्री इस्माईल उर्फ मटर पिता जान मोहम्मद मुसलमान निवासी बोहरवाडी वार्ड नम्बर 8 सनवाड तहसील मावली।
2. श्री सलीम हुसैन पिता जान मोहम्मद मुसलमान निवासी बोहरवाडी वार्ड नम्बर 8 सनवाड तहसील मावली।
3. श्रीमती जेनु पुत्री जान मोहम्मद पत्नी सदीक मोहम्मद मुसलमान निवासी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर मृतक के बजाय :–

3/1 श्री सदीक पिता नुर मोहम्मद मुसलमान निवासी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर।

3/2 श्री रियाज मोहम्मद पिता सदीक मोहम्मद मुसलमान निवासी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर।

3/3 श्रीमती प्रवीण बानु पुत्री सदीक मोहम्मद पत्नी शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी सहाडा तहसील गंगापुर जिला भीलवाडा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. जेबुन उर्फ पुष्पा पिता सरवर खां मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 18 कच्ची बस्ती फतहनगर तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार सनवाड तहसील मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री रजनीकान्त मेहता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री दीपक बडगुर्जर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 23.02.2026**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 3100 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड जमाबन्दी में हम प्रार्थीगण एवं खातेदार बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम पर संयुक्त रूप से अंकित हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण का सजरा खानदान इस प्रकार है :–

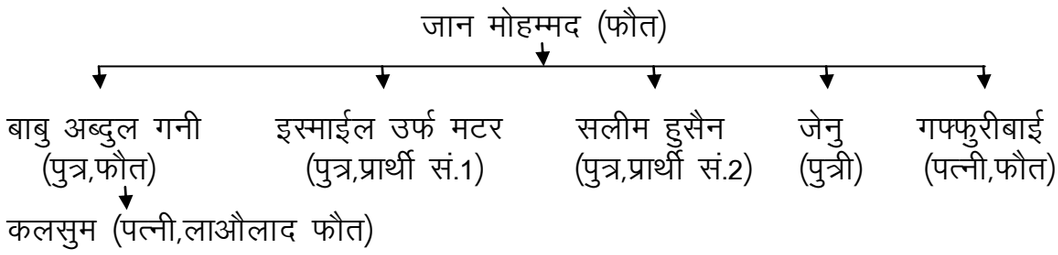


उपरोक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष जान मोहम्मद के तीन पुत्र बाबु अब्दुल गनी, इस्माईल उर्फ मटर (प्रार्थी सं.1), सलीम हुसैन (प्रार्थी सं.2), एक पुत्री जेनु (प्रार्थी सं.3) एवं पत्नी गफ्फुरीबाई हुए। बाबु अब्दुल गनी एवं इसकी पत्नी कलसुम लाऔलाद फौत हो चुके है तथा गफ्फुरीबाई का भी निधन हो चुका हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में जान मोहम्मद पिता इशाक मोहम्मद के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी तथा हम प्रार्थीगण द्वारा जान मोहम्मद एवं गफुरीबाई की सेवा सुश्रृषा, देखभाल, भरण पोषण, ईलाज इत्यादि समय–समय पर की जाती रही जिससे प्रसन्न होकर हमारे पिता जान मोहम्मद ने अपनी समस्त चल अचल सम्पति जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि भी सम्मिलित थी, का हम प्रार्थीगण एवं हमारी माता गफ्फुरीबाई के पक्ष में स्टाम्प पर एक वसीयतनामा दिनांक 11.06.1993 को लिखा अपने हस्ताक्षर कर साक्ष्य में मौतबीर सुभाषचन्द्र शर्मा एवं बन्शीलाल कोठारी के हस्ताक्षर करा नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करा दिया। हम प्रार्थीगण के पिता श्री जान मोहम्मद जी का स्वर्गवास दिनांक 21.07.1993 को एवं गफ्फुरीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका हैं।

4. यह कि स्वर्गीय पिता श्री जान मोहम्मद जी द्वारा की गई उपरोक्त वसीयत के अनुसार हमारे पिता श्री जान मोहम्मद जी एवं माता गफ्फुरीबाई के देहावसान के पश्चात् से हम प्रार्थीगण स्वतन्त्र रूप से उक्त जमीन पर काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन हम प्रार्थीगण के पिता श्री जान मोहम्मद जी के निधन हो जाने के उपरान्त वाद वर्णित कृषि भूमि बाबत् विरासत का जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है उसमें उनके मृतक पुत्र बाबु अब्दुल गनी ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर छलकपट बेईमानी पूर्वक अवैधानिक रूप से हम प्रार्थीगण के साथ अपना नाम भी मृतक खातेदार जान मोहम्मद के बजाय राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करा दिया जबकि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अवैधानिक रूप से राजस्व रेकार्ड में बाबु अब्दुल गनी का नाम अंकित रह जाने से उसको कभी भी कोई राईट वादग्रस्त भूमि में प्राप्त नहीं हो सकते है, न कोई राईट ही उसका है, न विपक्षी संख्या 1 का ही कोई हक अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में विरासत का स्वीकृत नामान्तरकरण हम प्रार्थीगण के मुकाबले बाबु अब्दुल गनी के हिस्से तक स्वतः शून्य प्रभावी है और बाबु अब्दुल गनी द्वारा राजस्व रेकार्ड में कराया गया परिवर्तन हमारे मुकाबले स्वतः शून्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि हम प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि की हमारे पिता द्वारा की गई वसीयत के अनुसार मालिक व स्वामी है और इस जमीन पर हम प्रार्थीगण ने लाखों रूपयों का खर्चा कर जमीन का सुधार कर आवादान की है और मौसमवार फसलों की बुवाई कर पैदावार लेते आ रहे है तथा हमने कुलिया जमीन को मौके पर एक चक बना रखा है तथा जमीन की सुरक्षा के लिये इसके चारो तरफ बाड/कोट बना रखी है और वाद वर्णित भूमि का भू राजस्व भी हम प्रार्थीगण ही राज्य सरकार में निरन्तर जमा कराते चले आ रहे हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम दर्ज कुलिया हिस्सा भूमि को हम प्रार्थीगण अपने खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी हैं तथा बाबु अब्दूल गनी पिता जान मोहम्मद का नाम रेकार्ड से हटवाने के अधिकारी हैं। जिसके लिये माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण को वसीयत से प्राप्त भूमि में हमारे भाई बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद ने छल कपट एवं धोखाधडी पूर्वक अपना नाम भी दर्ज करवा दिया है तथा वर्तमान में बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद का निधन हो जाने से विपक्षी संख्या 1 अपने आपको बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद की पत्नी बताकर बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम दर्ज हिस्सा कृषि भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने पर उतारू हो रही है और जमीन नाम पर कराने के पश्चात् जमीन को खुर्द बुर्द करने की भी धमकीयां दे रही है जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि न तो विपक्षी संख्या 1 हमारे भाई बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद की पत्नी है और हमारे भाई बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद का इस जमीन में कोई हक अधिकार आधिपत्य कभी नहीं रहा है, न हैं। इसलिये हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि को विपक्षी संख्या 1 अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं करावे, अन्य को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे तथा को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

उपभोग करने देवें, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, बेदखल नहीं करने, प्रवेश नहीं करे, मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

6. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि हम प्रार्थीगण हमारे पिता श्री जान मोहम्मद जी द्वारा वसीयत में दी गई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करने आ रहे है और लाखों रूपयों की लागत लगाकर जमीन को आवादान की है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं है लेकिन उक्त भूमि में हमारे भाई बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद द्वारा भी अपना नाम विरासत से गलत दर्ज करवा देने से विपक्षी संख्या 1 लोभ व लालच की भावना से वशीभूत होकर नाजायज लाभ करने की नियत से अपने आपको हमारे भाई बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद की पत्नी बताकर बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराना चाह रही है जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी अशोधनीय हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा।

7. यह कि बिनाय मुखास्मात प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराकर भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी उससे उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम पर अंकित नहीं करावें, अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण को उनके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, बेदखल नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें तथा विपक्षी संख्या 2 से 4 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, इन्तकाल नहीं खोले व पास नहीं करे तथा रेवेन्यु रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन किया कि कृषि भूमि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली में स्थित हो वर्तमान में प्रार्थीगण एवं खातेदार बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन होना स्वीकार हैं। खातेदार बाबु अब्दुल गनी का देहावसान हो चुका है जिनकी एकमात्र विधिक वारिस मैं विपक्षीया हुं। प्रार्थना पत्र में अंकित सजरा प्रार्थीगण ने अस्पष्ट एवं अधूरा पेश किया हैं। प्रार्थीगण ने इस सजरे में जान मोहम्मद जी के पुत्र बाबु अब्दुल गनी की पत्नी के रूप में कलसुम को दर्शाया है और कलसुम को लाऔलाद फौत होना बताया है लेकिन प्रार्थीगण ने बाबु अब्दुल गनी की दूसरी पत्नी अर्थात् मुझ विपक्षीयां को इस सजरे में नहीं बताया है जबकि बाबु अब्दुल गनी की प्रथम पत्नी कलसुम का इन्तकाल होने के पश्चात् बाबु अब्दुल गनी ने दिनांक 01.05.2001 को मुझ विपक्षीयां से मुस्लिम रितिरिवाज एवं सामाजिक परम्परा अनुसार निकाह किया और तब से ही मैं विपक्षीयां खातेदार बाबु अब्दुल गनी की वैध पत्नी हुं और दिनांक 12.12.2003 को मेरे पति के नाम से नगरपालिका फतहनगर सनवाड द्वारा परिवार राशन कार्ड में भी मुझ विपक्षीयां का नाम पत्नी के रूप में अंकित है तथा मुझ विपक्षीयां के नाम से जारी भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में मेरे पति का नाम बाबु खां अंकित हैं। चूंकि मेरे पति को बाबु खां के नाम से भी जानते व पहचानते थे इसलिए मेरे एवं मेरे पति के नाम से जारी सभी दस्तावेज में नाम बाबु खां ही दर्ज है अर्थात् बाबु अब्दुल गनी एवं बाबु खां दोनों ही एक ही व्यक्ति है जो मेरे पति है और दिनांक 25.04.2018 को नगरपालिका फतहनगर सनवाड के वार्ड नम्बर 18 के पार्षद शहजाद हुसैन ने बाबु अब्दुल गनी का पारिवारिक सजरा प्रमाणित किया है जिसमें मुझ विपक्षीयां जेबुन बानू को बाबु अब्दुल गनी की पत्नी होने की पुष्ठि की हैं।

9. यह कि अकेले प्रार्थीगण ने जान मोहम्मद एवं गफ्फुरीबाई की सेवा चाकरी अथवा भरण पोषण नहीं किया है और न ही अकेले प्रार्थीगण ने उनके सामाजिक क्रियाकर्म ही किये है और न ही जान मोहम्मद जी ने प्रार्थीगण के पक्ष में कोई वसीयत दिनांक 11.06.1993 को लिखी हैं। वास्तविकता यह है कि जान मोहम्मद एवं गफ्फुरीबाई की सेवा सुश्रुषा मुझ विपक्षीयां के पति द्वारा भी की गई है और जान मोहम्मद एवं गफ्फुरीबाई का भरण पोषण वगैरा भी मेरे पति द्वारा किया गया है और जान मोहम्मद एवं गफ्फुरीबाई के इन्तकाल के बाद मेरे पति ने सामाजिक रिवाजानुसार सभी सामाजिक क्रियाकर्म भी किये है और अपने हिस्से का खर्चा वहन किया गया हैं। मेरे पति के उनके जीवनकाल में अपने पिता से प्राप्त वाद वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा मेरे पति के देहावसान के बाद मैं विपक्षीयां काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि जान मोहम्मद जी ने कभी कोई वसीयत प्रार्थीगण को नहीं की हैं। प्रार्थीगण फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज की आड लेकर मेरे पति की सम्पति को हडपना चाह रहे है। मेरे पति के नाम दर्ज कृषि भूमि मेरे पति के जीवनकाल में मैं विपक्षीयां एवं मेरे पति संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा मेरे पति के इन्तकाल होने के बाद मैं विपक्षीयां तन्हा रूप से मेरे पति से प्राप्त हुई जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं। जान मोहम्मद जी के इन्तकाल के बाद जान मोहम्मद जी के नाम अंकित कृषि भूमि हिस्सेनुसार मेरे पति के नाम पर भी विरासत से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज हुई है जो प्रार्थीगण की जानकारी में हुई है तथा वाद वर्णित कृषि भूमि के अलावा जान मोहम्मद जी से आराजी नम्बर 3101 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि भी हिस्सेनुसार प्रार्थीगण एवं मेरे पति को विरासत से प्राप्त हुई थी जिसमें से 4 बीघा कृषि भूमि को प्रार्थीगण एवं मेरे पति बाबु अब्दुल गनी ने दिनांक 31.05.2010 को संयुक्त से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये प्रवीण कुमार पिता संतोष जी बाबेला निवासी कांकरोली अरिहंत कॉलोनी तहसील राजसमन्द एवं राजेश पिता शंकरलाल जी जैन निवासी केलवा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द को 10,00,000/— रूपया में विक्रय की तथा प्रार्थीगण एवं मेरे पति ने अपने अपने हिस्सेनुसार क्रेताओं से विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर लिया और मौके पर क्रेतागण को कब्जा सिपुर्द कर दिया। यदि वास्तव में जान मोहम्मद जी द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 11.06.1993 को कोई वसीयत अपनी सम्पति की, की हुई होती तो प्रार्थीगण अवश्य ही जान मोहम्मद जी के इन्तकाल के पश्चात् मेरे पति का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने देते है या विरासत से नाम अंकन होने के पश्चात् उनका नाम हटाने की कार्यवाही करते और दिनांक 31.05.2010 को प्रार्थीगण एवं मेरे पति बाबु अब्दुल गनी सभी मिलकर जान मोहम्मद से विरासत में प्राप्त हुई आराजी नम्बर 3101 की जमीन को संयुक्त रूप से विक्रय नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि जान मोहम्मद जी ने प्रार्थीगण को अपनी सम्पति की वसीयत नहीं की है और प्रार्थीगण द्वारा बताई जा रही तथाकथित वसीयत षड्यन्त्र रचकर बनाई हुई होकर फर्जी एवं कुटरचित हैं। वाद वर्णित कृषि भूमि पर मेरे पति बाबु अब्दुल गनी उनके हिस्से पर पूर्व में काबिज थे और मेरे पति के इन्तकाल के पश्चात् मैं विपक्षीयां निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं। यदि जान मोहम्मद जी ने अपनी सम्पति की वसीयत प्रार्थीगण को की हुई होती तो प्रार्थीगण अवश्य जमीन अपने खाते कराने की कार्यवाही कराते लेकिन इतने समय तक कोई कार्यवाही नहीं की और अब मेरे पति से प्राप्त सम्पति से वंचित करने की नियत से उक्त दावा कर दिया है। इतने समय तक प्रार्थीगण का चुप रहना इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

बात का सूचक है कि जान मोहम्मद जी ने अपनी सम्पति की कभी कोई वसीयत प्रार्थीगण को नहीं की है और मेरे पति बाबु अब्दुल गनी का इस जमीन में पुरा हक हिस्सा है जिससे प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं हैं। महज वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से प्रार्थीगण की नियत में चारों तरफ फितुर उत्पन्न हो गया है तथा लोभ और लालच की भावना जागृत हुई हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति में भूमाफियाओं के बहकावें में आकर के यह गलत कार्यवाही की है जो किसी भी दृष्टि से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण के कहने मात्र से विरासत का नामान्तरकरण स्वतः शून्य एवं निष्प्रभावी नहीं हैं। प्रार्थीगण किसी भी सूरत में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं बल्कि मैं विपक्षीया अपने पति बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमि को उनकी पत्नी होने से अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारीणी हूं इसलिये माननीय न्यायालय आपमें काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं।

11. यह कि लम्बे समय से रेवेन्यु रेकार्ड में इस जमीन की खातेदारी मेरे पति बाबु अब्दुल गनी के नाम पर चली आ रही है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को हैं। मेरे पति ने छल कपट एवं धोखाधडी पूर्वक विरासत में अपना नाम अंकित नहीं कराया है बल्कि जान मोहम्मद जी के मेरे पति जायन्दा पुत्र होने से राजस्व अधिकारियों ने जान मोहम्मद जी के इन्तकाल के पश्चात् सभी वारिसान की जानकारी एवं सहमति से मेरे पति बाबु अब्दुल गनी का नाम विरासत के नामान्तरकरण में दर्ज किया है जिसकी पुष्ठि इस बात से भी होती है कि वाद वर्णित जमीन के अलावा जान मोहम्मद जी से विरासत में आराजी नम्बर 3101 भी प्रार्थीगण एवं मेरे पति को प्राप्त हुई थी जिसमें से 4 बीघा जमीन को प्रार्थीगण एवं मेरे पति ने संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये बेची थी जिससे स्पष्ट है कि मेरे पति का उनके पिता की सम्पति में प्रार्थीगण की तरह समान अधिकार था और है जिसे प्रार्थीगण ने स्वीकार किया हैं। इसलिए प्रार्थीगण मुझ विपक्षीयां के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। रेवेन्यु रेकार्ड में लम्बे समय से जमीन मेरे पति की खातेदारी में दर्ज है और कब्जा भी मेरे पति एवं मेरे पति के मरने के बाद मुझ विपक्षीयां का ही चला आ रहा है और मैं विपक्षीयां खातेदार बाबु अब्दुल गनी की वैध पत्नी होकर एकमात्र वारिस हूं और दिनांक 25.04.2018 को नगरपालिका फतहनगर सनवाड के वार्ड नम्बर 18 के पार्षद शहजाद हुसैन ने बाबु अब्दुल गनी का पारिवारिक सजरा प्रमाणित किया है जिसमें मुझ विपक्षीयां जेबुन बानु को बाबु अब्दुल गनी की पत्नी होने की पुष्ठि की हैं। कानूनन भी एक खातेदार एवं उनके वारिसान को

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

अपनी जमीन का उपयोग उपभोग करने का संवैधानिक अधिकार है उसके लिये उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

12. यह कि प्रार्थीगण का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है न ही सुविधा संतुलन उसके पक्ष में है न उसको कोई अशोधनीय हानि है क्योंकि मेरे पति जान मोहम्मद जी की जायन्दा सन्तान है और उनके मरने के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है जो प्रार्थीगण की जानकारी में होकर सही है। इसलिए प्रार्थीगण मुझ विपक्षीयां के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है इसके विपरीत मुझ विपक्षीयां का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि रेवेन्यु रेकार्ड में लम्बे समय से जमीन मेरे पति की खातेदारी में दर्ज है और कब्जा भी मेरे पति एवं मेरे पति के मरने के बाद मुझ विपक्षीयां का ही चला आ रहा है और मैं विपक्षीयां खातेदार बाबु अब्दुल गनी की वैध पत्नी होकर एकमात्र वारिस हूं तथा एक खातेदार को अपनी जमीन का उपयोग उपभोग करने का संवैधानिक अधिकार है उसके लिये उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। मुझ विपक्षी के विरूद्व प्रार्थीगण को कोई बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र पैदा नहीं होता हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

13. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने हस्तगत मामले में मुझ विपक्षीयां को खातेदार बाबु अब्दुल गनी की पत्नी नहीं होने का कथन किया है जबकि मैं विपक्षीयां स्व. बाबु अब्दुल गनी की वैध पत्नी होकर एकमात्र विधिक वारिस हूं और मुझ विपक्षीयां के नाम से जारी सरकारी व अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में भी मेरे पति का नाम बाबु खां अंकित है और इन सभी तथ्यों की सुस्पष्ट जानकारी प्रार्थीगण को है फिर भी प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकन कर दाद प्राप्त करने की चेष्ठा की है जिससे भी हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। मौजा सनवाड में स्थित आराजी नम्बर 3101 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जो पूर्व में जान मोहम्मद जी के नाम दर्ज थी जो विरासत से प्रार्थीगण एवं बाबु अब्दुल गनी को प्राप्त हुई थी जिसमें से 4 बीघा जमीन को दिनांक 31.05.2010 को प्रार्थीगण एवं बाबु अब्दुल गनी ने संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रेतागण प्रवीण कुमार एवं राजेश को विक्रय की है लेकिन प्रार्थीगण मनचाही दाद प्राप्त करने की गरज से इस सम्बन्ध में अपने दावें में कोई अंकन नहीं किया हैं। जिससे भी हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं।

14. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली में स्थित होकर आराजी नम्बर 3100 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि का 1/4 हिस्सा मुझ विपक्षीया के पति बाबु अब्दुल गनी के खातेदारी में दर्ज है जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

पर पहले मेरे पति एवं मैं विपक्षीयां संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा मेरे पति के देहावसान के बाद मैं विपक्षीयां अपने पति से विरासत में प्राप्त हुई उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हूं लेकिन प्रार्थीगण लोभ लालच के वशीभूत होकर मेरे पति की जमीन को फर्जी एवं कूटरचित वसीयत की आड लेकर हडपना चाह रहे है और इसी नियत से प्रार्थीगण ने यह मिथ्या एवं कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित दावा आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं विपक्षीयां स्व. बाबु अब्दुल गनी की वैध पत्नी होकर एकमात्र वारिस हूं और अपने पति से विरासत में प्राप्त हुई जमीन पर तन्हा रूप से काबिज हूं और मेरे पति के नाम से जारी परिवार राशन कार्ड में भी मुझ विपक्षीयां का नाम दर्ज है तथा मुझ विपक्षीयां के नाम से जारी भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में मेरे पति का नाम बाबु खां अंकित हैं। चूंकि मेरे पति को बाबु खां के नाम से भी जानते व पहचानते थे इसलिए मेरे एवं मेरे पति के नाम से जारी सभी दस्तावेज में नाम बाबु खां ही दर्ज है अर्थात् बाबु अब्दुल गनी एवं बाबु खां दोनो ही एक ही व्यक्ति है जो मेरे पति हैं। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में अपने पति खातेदार बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद के नाम अंकित कुलिया जमीन को उनकी पत्नी होने की हैसियत से मैं विपक्षीयां अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारी हूं। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं।

15. यह कि मुझ विपक्षी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि मैं विपक्षीयां खातेदार बाबु अब्दुल गनी पिता जान मोहम्मद की वैध पत्नी होकर एकमात्र वारिस हूं और अपने पति से प्राप्त हिस्से भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। फिर भी प्रार्थीगण मेरे पति की भूमि से मुझ विपक्षीयां को बाहुबल एवं धनबल से बेदखल कर कब्जा करने की ऐलानिया धमकीयां दे रहे है और बेदखल कर कब्जा करने के लिए निरन्तर कुप्रयास कर रहे है जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि मौके पर मुझ विपक्षीयां का अपने पति के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी अवस्था में सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं। इसलिए मैं विपक्षीया प्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि प्रार्थीगण मुझ विपक्षीयां के कब्जे काश्त की 1/4 हिस्सा भूमि का मुझ विपक्षीयां को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

या असुविधा नहीं होगी। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं। मुझ विपक्षीयां को काउन्टर क्लेम कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर मुझ विपक्षीयां के पक्ष में एवं प्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थीगण काउन्टर क्लेम में वर्णित मुझ विपक्षीयां को मेरे पति से प्राप्त कब्जे काश्त व हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि का मुझ विपक्षीयां व मेरे परिवारजन को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

16. **प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 के जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया** कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अब्दुल गनी का नाम छल कपट व बेईमानी से राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से अंकन कराया है जो प्रार्थीगण के मुकाबले पूर्णतया शून्य प्रभावी है चूंकि विवादित भूमि की स्व. जान मोहम्मद मुसलमान ने प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 11.06.1993 को ही विधिवत् वसीयत कर दी है उसके पश्चात् हम प्रार्थीगण के माता पिता का देहावसान/इतंकाल हो जाने से वसीयत दिनांक 11.06.1993 से हम प्रार्थीगण विवादित सम्पति के एकमात्र स्वामी, अधिकारी व आधिपत्यधारी हुये। तब से ही उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण का हिस्सा बराबर से संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 1 अथवा बाबु अब्दुल गनी की विधिक वारिस ही है। चूंकि विपक्षीयां गांव काली पहाडी तहसील वल्लभनगर निवासी बशीर खां पिता अनवर खां मुसलमान की विधिवत् वैध विवाहित पत्नी है उसके यहां उसका प्रथम निकाह हुआ था। बशीर खां के नुत्फे से विपक्षी संख्या 1 के दो लडके फिरोज, रईस व एक लडकी हमीदा हुई। यानि की विपक्षीयां बशीर खां की विवाहित वैध पत्नी हैं। उसका समस्त वैधानिक अधिकार बशीर खां की जायदाद में हैं। इसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 ने आवरी माता कॉलोनी फतहनगर निवासी देवीलाल पिता एकलिंग यादव के साथ धर्म व नाम परिवर्तन कर हिन्दू बन कर शादी की व पांच साल तक दोनो पति व पत्नी की हैसियत से साथ रहकर दामपत्य जीवन का निर्वह्न किया। इसके बाद विपक्षी संख्या 1 ने सलुम्बर निवासी अयुब खां पिता श्री शराफत खां मुसलमान से निकाह किया व तीन वर्ष तक उसके साथ उसकी पत्नी बन कर रही उसके कुछ समय पश्चात् विपक्षीया बाबु खां के यहां नौकरानी/आया का काम करती थी। लोभ व लालच से वशीभूत होकर साथ रहते उसका बिना किसी कारण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

अजमेर से कुटरचित निकाहनामा बनाया जिसमें किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, मौलाना के हस्ताक्षर नहीं है यहां तक की निकाह करने वाली के पिता का नाम तक अंकित नहीं है अगर वास्तव में विपक्षीयां एक ने बाबु खां से निकाह किया होता तो फतहनगर में मौलाना रहते है उनको छोडकर अजमेर में निकाहनामा बनवाना अपने आप में गम्भीर संदेह पैदा करता है व बाबुखां की वारिस बनकर उसकी सम्पति अवैधानिक तौर पर हडपना चाहती हैं। इस प्रकार के अवैधानिक चाल–चलन वाली नौकरानी हम प्रार्थीगण के खानदान की पुत्रवधु है ही नहीं, ना ही कभी बाबु खां की कभी पत्नी रही हैं। बाबु खां की मात्र कलसुम पत्नी जो की ला औलाद फौत हो चुकी हैं।

17. यह कि विपक्षीया का यह कथन कि प्रार्थना पत्र में दर्शित सजरा अस्पष्ट व अधुरा पेश किया हो बाबु की विपक्षीयां दुसरी पत्नी हो व दिनांक 01.05.2001 को विपक्षीयां से निकाह किया हो व बाबु अब्दुलगनी की वैध पत्नी हो शासकीय व अशासकीय दस्तावेज में विपक्षीयां का नाम अंकित हो वार्ड नम्बर 18 के पार्षद ने मृतक बाबु खां का सजरा प्रमाणित सही किया हो अक्षर–अक्षर गलत होकर अस्वीकार हैं। सही स्थिति यह है कि प्रार्थीगण ने अपने खानदान का सजरा वाद व प्रार्थना पत्र में सही व स्पष्ट दर्शाया है विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के परिवार की पुत्रवधु नहीं होने से वह विधिक वारिसान नहीं होने से विवादित जायदाद में विपक्षी संख्या 1 का कोई हक, हित, स्वत्व नहीं होकर बाबु खां लाऔलाद फौत होने से जबरन हक जता प्रार्थीगण को हैरान परेशान करना है। स्व. जान मोहम्मद ने अपने जीवनकाल में ही विधिवत अपनी सम्पति की व्यवस्था कर अपनी सम्पति के संसार में नहीं रहने की दशा में वसीयत 11.06.1993 को निष्पादित कर प्रमाण्ति करा दी थी। जिससे विवादित सम्पति में प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई हक हित व स्वत्व नहीं हो प्रार्थीगण ही वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पति के एकमात्र स्वामी अधिकारी आधिपत्यधारी हैं। विपक्षीयां ने छल कपट व बेईमानी से सम्पति में हक जता सम्पति हडपने के लिये समस्त दस्तावेज फर्जी तैयार करवाये है जो प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी हैं। प्रार्थीगण का परिवार फतहनगर कस्बे के वार्ड संख्या 8 में निवासरत था उसके वार्ड पंच ने झुठा व गलत सजरा प्रमाणित करने के लिये मना कर दिया तो फर्जी तौर पर वार्ड संख्या 18 का पार्षद सहजान ने अवैधानिक रूप से जारी किया जो शून्य प्रभावी हैं।

18. **काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन** किया कि विपक्षीयां स्व. बाबु खां की पत्नी ही नहीं है तो विवादित सम्पति में नये सर पत्नी बनकर गलत व झुठे हथकन्डे अपनाकर नये सर विवादित सम्पति में हक प्राप्त करने के लिये आधारहीन तथ्यों पर काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है स्वमेव निरस्ती योग्य हैं। विपक्षीयां का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पति के एक इंच जमीन पर कभी कोई कब्जा नहीं है व ना ही कभी रहा हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला होकर विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है अन्यथा मौके पर लडाई झगडा व भारी विवाद होगा, अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी। सुविधा भी इसी में है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीया का काउन्टर क्लेम सारहीन होने से निरस्ती योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीयां का काउन्टर प्रार्थना पत्र सारहीन विधि विरूद्व होकर पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

19. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया** कि विपक्षीयां ने काउन्टर क्लेम के साथ क्लेम की द्वितीय प्रति प्रस्तुत नहीं की है व ना ही काउन्टर क्लेम प्रोपर कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया गया है जिससे भी विपक्षीयां का काउन्टर प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने से सव्यय निरस्ती योग्य हैं। विपक्षीयां ने प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पति में नये सर अपना हक कायम कब्जे के लिये षड्यन्त्रपूर्वक छल बल कपट व बेईमानी से फर्जी झूठे दस्तावेज का आधार बना गलत काउन्टर क्लेम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि विपक्षीयां बाबु खां की पत्नी नहीं है जिससे उसको कोई हक भी विवादित सम्पति में नहीं होने से काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वमेव निरस्ती योग्य हैं। प्रार्थीगण वसीयत दिनांक 11.06.1993 के आधार पर विवादित प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पति के पूर्ण रूपेण स्वामी अधिकारी व आधिपत्यधारी होने से वांछित अनुतोष विधिवत विपक्षीयां के विरूद्व माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विपक्षीयां द्वारा हम प्रार्थीगण के जायज हक अधिकारों को चुनौती देने से कानूनी कार्यवाही करवाने के लिये विधिवत अनुतोष प्राप्ति हेतु कानूनी चाराजोही की हैं।

20. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 3100 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार बाबु अब्दुल गनी व प्रार्थीगण के खाते संयुक्त रूप से अंकित हैं। जान मोहम्मद जो प्रार्थीगण के पिता के नाम उक्त कृषि भूमि भू दान होल्डर के नाम जमाबन्दी में दर्ज थी। स्व. जान मोहम्मद ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पति को जरिये वसीयत 11.06.93 को अपने दोनो लडके इस्माईल मोहम्मद, सलीम मोहम्मद व श्रीमती जेनु जो उनकी पुत्री थी के नाम एवं पत्नी गफुरी बाई को जरिये वसीयत कर दी थी व उक्त वसीयतनामा श्री जान मोहम्मद ने 11.06.1993 को स्टाम्प पर लिखापढी कर दो साख लगवा कर दिनांक 14.06.1993 को श्री अजीत प्रसाद नि[illegible]टेरी वल्लभनगर द्वारा प्रमाणित करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

दिया। श्री जान मोहम्मद की पत्नी गफुरी बाई थी जिनका इन्तकाल हो चुका है वर्तमान समय में बाबु अब्दुल गनी भी लाऔलाद फौत हो चुका है उसकी पत्नी कुलसुम की मृत्यु उनके जीवनकाल में ही हो चुकी थी। इसी प्रकार दौहराने वाद इस्माईल व जैनु की भी मृत्यु हो गई। जान मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात् बाबु अब्दुलगनी का कोई हक अधिकार स्वत्व उक्त कृषि भूमि में नहीं रहा। चूंकि वसीयत जान मोहम्मद द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने दोनों पुत्र व पुत्री, पत्नी के नाम की गई। वसीयत का तकरीबन 32 वर्षों में कभी किसी प्रकार को कोई ऐतराज किसी के द्वारा नहीं किया गया।

21. यह कि प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त कृषि भूमि पर जमीन की सुरक्षा के लिये बाढ/कोट बना रखी है एवं उक्त कृषि भूमि का भू राजस्व भी प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा ही जमा करवाया जाता है लेकिन जान मोहम्मद के निधन के पश्चात् विरासत का जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ उसमें मृतक बाबु अब्दुल गनी ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर छल कपट बेईमानी पूर्वक अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण के साथ अपना नाम भी राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा दिया जबकि ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। अवैधानिक रूप से राजस्व रेकार्ड में बाबु अब्दुल गनी का नाम अंकित रह जाने से उसको कभी भी कोई राइट वादग्रस्त भूमि में प्राप्त नहीं हो सकते है ना ही कोई राइट ही उसका हैं। इसलिए इसमें विपक्षी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए उक्त कृषि भूमि में बाबु अब्दुल गनी के नाम दर्ज कुलिया भूमि को हम प्रार्थीगण अपने खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने के अधिकारी हैं। बाबु अब्दुल गनी का नाम रेकार्ड से हटवाने के हम अधिकारी है जिसके लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र व वाद प्रस्तुत किया हैं।

22. यह कि विपक्षी संख्या 1 न तो कभी बाबु अब्दुल गनी की पत्नी थी ना ही उसके साथ पत्नी रही। बाबु अब्दुल गनी की प्रथम पत्नी कुलसुम थी जिसका इन्तकाल हो चुका था और उसके कोई सन्तान नहीं थी। बाबु अब्दुल गनी उसके पिता जान मोहम्मद के जीवनकाल में ही अलग रहकर जीवन निर्वाह् करता था। निर्वाचन सूची एवं राशन कार्ड में भी बाबु अब्दुल गनी की पत्नी का नाम कुलसुम अंकित था। विपक्षी संख्या 1 उसकी पत्नी नहीं होकर आया थी। बाबु अब्दुल गनी का राजस्व रेकार्ड राशन कार्ड, निर्वाचन सूची में बाबु खा नाम कभी नहीं था। विपक्षी संख्या 1 ने बाबु अब्दुल गनी की मृत्यु के पश्चात् नगर पालिका फतहनगर से पारिवारिक सजरा वार्ड नम्बर 8 जहां का बाबु अब्दुल गनी निवासी था। सजरा प्रमाणित नहीं करवाकर वार्ड नम्बर 18 के पार्षद सैजाद हुसैन से पारिवारिक सजरा प्रमाणित करवाया है। चूंकि वार्ड नम्बर 8 के पार्षद ने प्रमाणित करने से मना किया इतना ही नहीं उ[illegible] निकाह नामा अजमेर से मौलबी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

बनाकर प्रस्तुत किया जिसमें न तो मौलवी के हस्ताक्षर है एवं ना ही गवाहान के पिता के नाम ही अंकित है एवं निकाह करने वाली के पिता का नाम भी अंकित नहीं है अगर विपक्षीयां ने बाबु अब्दुल गनी से निकाह किया होता तो फतहनगर में भी मौलाना रहते है उनको छोडकर अजमेर में फर्जी निकाहनामा बनवाना अपने आप में गम्भीर संदेह पैदा करता है व इस सम्पति को अवैधानिक तौर पर हडपना चाहती हैं। विपक्षी संख्या 1 अवैधानिक चाल चलन वाली नौकरानी/आया प्रार्थीगण के खानदान की पुत्रवधु नहीं है ना ही कभी बाबु अब्दुल गनी की पत्नी रही। बाबु अब्दुल गनी की एकमात्र पत्नी कुलसुम थी जो लाऔलाद फौत हो चुकी हैं। निर्वाचन नामवली 1993 में भी कुलसुम, बाबु अब्दुल गनी की पत्नी होना अंकित है एवं बाबु अब्दुल गनी के राशन कार्ड में भी कुलसुम पत्नी बाबु खां का नाम अंकित है एवं सजरा खानदान पार्षद वार्ड नम्बर 8 फतहनगर सनवाड के पार्षद द्वारा भी जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें भी बाबु अब्दुल गनी की पत्नी का नाम कुलसुम अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि बाबु खां के एकमात्र पत्नी कुलसुम थी। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के परिवार की पुत्रवधु नहीं होने से व विधिक वारिसान नहीं होने से विवादित जायदाद में कोई हक, हित, स्वत्व नहीं पैदा होता है। स्व. जान मोहम्मद ने अपने जीवन काल में ही विधिवत् अपनी स्वअर्जित सम्पति की व्यवस्था जरिये वसीयत 11.06.1993 को निष्पादित कर नोटरी से प्रमाणित करवा दी थी। उसके द्वारा की गई वसीयत को आज तक किसी ने भी चेलेन्ज नहीं किया है एवं विपक्षीयां का उक्त जायदाद में कभी भी एक इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं रहा ना ही कभी था। प्रार्थीगण सलीम एवं इस्माईल के नाम पर विद्युत कनेक्शन भी इस जमीन पर लिया हुआ हैं। जिसका वह इस जमीन पर सिंचाई करते हुए उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

23. यह कि विपक्षी संख्या 1 मृतक बाबु अब्दुल गनी की न तो औरत थी ना ही पत्नी ही थी मात्र नौकरानी होकर आया का कार्य करती थी जबकि विपक्षी संख्या 1 गांव काली पहाडी तहसील वल्लभनगर निवासी बशीर खां पिता अनवर खां मुसलमान की विधिवत वैध पत्नी थी। जहां उसका प्रथम निकाह हुआ था जिससे उसका समस्त वैधानिक अधिकार बशीर खां की जायदाद में हैं। चूंकि वह उसके साथ 15 साल रही व उसके तीन सन्ताने हुई तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 1 ने आवरीमाता कॉलोनी फतहनगर निवासी देवीलाल पिता एकलिंग यादव के यहां धर्म व नाम परिवर्तन कर पुष्पा के नाम से 5 साल तक पति–पत्नी की हैसियत से रही इसके बाद सलुम्बर निवासी अयुब खां पिता सराफत खां से निकाह कर 3 साल उसके साथ रही। अन्त में विपक्षीयां नौकरानी/आया का काम बाबु अब्दुल गनी खां के यहां करती थी। बाबु अब्दुल गनी की मृत्यु के पश्चात् लोभ व लालच से वशीभूत होकर उसने फतहनगर रहते हुए अजमेर से कुटरचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

निकाहनामा अन्य दस्तावेज को फर्जी बनवाकर वर्णित सम्पति में छल कपट व बेईमानी से सम्पति में हक जता सम्पति हडपने के लिये फर्जी तैयार करवाये हैं। प्रार्थीगण को अपने पिता की वसीयत से कृषि भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त हुआ एवं विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रस्तुत वसीयत फर्जी है अगर इस प्रकार का कोई उजर है तो विपक्षी संख्या 1 सिविल न्यायालय से आदेश प्राप्त करे उक्त वसीयत से प्राप्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण कई वर्षों से काबिज चले आकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिससे विपक्षी संख्या 1 उन्हे किसी प्रकार से बिना किसी सिविल न्यायालय के आदेश से बेदखल नहीं कर सकती हैं।

24. यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में हम प्रार्थीगण को हमारे पिता द्वारा की गई वसीयत से प्राप्त भूमि में हमारा हक व अधिकार प्राप्त है हमारे भाई बाबु अब्दुल गनी ने छल कपट व धोखाधडी पूर्वक अपना नाम भी दर्ज करवा दिया था जबकि जान मोहम्मद द्वारा की गई वसीयत में हम प्रार्थीगण का ही नाम अंकित है व हमारे पक्ष में ही वसीयत की जाकर उसे नोटरी से प्रमाणित किया था जो वाद एवं प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत हैं। वर्तमान में बाबु अब्दुल गनी का निधन हो जाने से विपक्षी संख्या 1 जो आया थी, उसकी पत्नी बताकर कृषि भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने हेतु उतारू है व जमीन नाम कराने के पश्चात् खुर्द बुर्द करने की धमकीया दे रही हैं। उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि वह उसकी पत्नी नहीं है जिससे उसका हक अधिकार स्वत्व पैदा नहीं होता है ना ही उसका कभी कोई कब्जा ही रहा हैं। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि बाबु अब्दुल गनी के नाम दर्ज भूमि को विपक्षी संख्या 1 राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित नहीं करावें, ना ही रहन बैह बक्षीस द्वारा हस्तान्तरित करे, प्रार्थीगण को शांतिपर्वूक उपयोग उपभोग करने देवें। प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, बेदखल नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण का प्रथम सुदृढ मामला है चूंकि हमारे पिता द्वारा वसीयत में दी गई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और लाखों रूपये की लागत लगाकर जमीन को आवादान कर बाढबन्दी की हैं। अन्य व्यक्ति का इसमें कोई हक व अधिकार नहीं है केवल मात्र हमारे भाई बाबु अब्दुल गनी द्वारा अपना नाम विरासत से गलत दर्ज करवाने से विपक्षी संख्या 1 लोभ व लालच की भावना से वशीभूत होकर नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से अपने आप को बाबु अब्दुल गनी की पत्नी बताकर अपने नाम पर भूमि दर्ज करवाना चाह रही है। ऐसा करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असम्भव होगा।

25. यह कि बाबु अब्दुल गनी पिता स्व. श्री जान मोहम्मद का इन्तकाल दिनांक 18.04.2018 को सनवाड कब्रिस्तान में मजहबी रिति रिवाज के साथ मौलाना की मौजूदगी एवं समाज के व्यक्तियों के सामने दफन किया गया एवं 40 वॉ भी हमारे द्वारा किया गया। विपक्षी संख्या 1 कभी भी बाबु अब्दुल गनी पिता स्व. जान मोहम्मद के इन्तकाल के समय उपस्थित नहीं हुई ना ही कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। अगर वह पत्नी होती तो निश्चित रूप से ही उनके अन्तिम दर्शन हेतु उपिस्थत रहती। बाबु अब्दुल गनी पिता स्व. जान मोहम्मद की वास्तविक पत्नी कुलसुम थी जिसका भी इन्तकाल हो चुका था उनकी कोई सन्तान नहीं थी। विपक्षी संख्या 1 तो मात्र उसकी आया थी। अन्त में निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी संख्या 3100 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात में मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

26. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। लिखित बहस का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं मृतक खातेदार बाबु अब्दुल गनी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में हमारे मौरूस जान मोहम्मद के नाम दर्ज थी जो विरासत के आधार पर प्रार्थीगण एवं बाबु अब्दुल गनी के नाम दर्ज हुई जबकि हमारे मौरूस जान मोहम्मद द्वारा हम प्रार्थीगण एवं हमारी माता गफुरीबाई के पक्ष में वसीयत कर दी थी जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में संलग्न है के आधार पर दर्ज होनी चाहिए थी। वादग्रस्त भूमि बाबु अब्दुल गनी के नाम दर्ज नहीं होनी चाहिए थी एवं विपक्षी संख्या 1 बाबु अब्दुल गनी की पत्नी नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि विरासत के आधार पर मेरे पति बाबु अब्दुल गनी के नाम पर सही दर्ज हुई है वर्तमान में मेरे पति बाबु अब्दुल गनी का निधन हो चुका है एवं मैं विपक्षी संख्या 1 स्वर्गीय बाबु

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

अब्दुल की पत्नी होने के नाते बाबु अब्दुल गनी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हुं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त प्रार्थना पत्र में मूलतः बिन्दू बाबु अब्दुल गनी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि का है। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद वसीयत के आधार पर प्रस्तुत कर घोषणा चाही गई है। विपक्षी संख्या 1 मृतक खातेदार की पत्नी है या नही ? इन सभी बिन्दुओं का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय हो सकते हैं। प्रकरण में पूर्व में भी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी हैं। ऐसे में उभय पक्षों के मध्य मौके एवं रेकार्ड संबंधित विवाद ना हो इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना उचित हैं।

यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है एवं विपक्षी संख्या 1 मृतक खातेदार बाबु अब्दुल गनी के नाम दर्ज भूमि को विरासत के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा लेती है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकरण में उभय पक्षकारान अपना अपना हित बताते हुए एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाह रहे हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा उठाये गये तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेंगे। इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान द्वारा उठाये गये तथ्य साबित नहीं किये जा सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं मृतक खातेदार बाबु अब्दुल गनी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा वसीयत के आधार पर घोषणा चाही गई है। विपक्षी संख्या 1 मृतक खातेदार बाबु अब्दुल गनी की पत्नी होना बताकर प्रार्थीगण को पाबंद करवाना चाहती हैं। उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि में अपना अपना हक होना बता रहे है इसलिए यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द कर मौके एवं रेकार्ड की स्थिति परिवर्तित कर देते है तो इससे उभय पक्षकारान को ही काफी असुविधा का सामना करना पडेगा व उभय पक्षकारान के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार सुविधा संतुलन का बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं मृतक खातेदार बाबु अब्दुल गनी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में है। प्रार्थीगण द्वारा वसीयत के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

घोषणा चाही गई है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी वादग्रस्त भूमि में अपना हक होना बता रही हैं। इसलिए यदि उभय पक्षकारान को रोका नहीं जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

27. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 484 पर दर्ज आराजी नम्बर 3100 किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं मृतक खातेदार बाबु अब्दुल गनी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

प्रकरण में प्रार्थीगण का मूल बिन्दू वसीयत के आधार पर घोषणा सम्बन्धी हैं एवं विपक्षी संख्या 1 का मूल बिन्दू मृतक खातेदार बाबु अब्दुल गनी की वारिस सम्बन्धी हैं। जिसे इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 06.08.2018 से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं परन्तु यदि केवल मात्र विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि दोनो ही पक्ष वादग्रस्त भूमि में अपना अपना हक होना बता रहे है। अतः ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है कि उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 484 पर दर्ज आराजी नम्बर 3100 किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(FT) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:24 IST
Reason: SelfAttested